

महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो पूरे समाज से संबंधित है, देश से संबंधित है और इस सरकार का जो नक्शा है, कानून-व्यवस्था है, उसका एक दर्पण पेश करता है। इसलिए मुझे जरा समय दीजिए।

महोदया, मैं कह रही थी कि जब जिलाधिकारी ने पी० ए० सी० को गोली चलाने के लिए कहा तो उन्होंने गोली नहीं चलाई और लिखित में आदेश मांगे। जब लिखित में आदेश दिए तो भी गोली नहीं चलाई बल्कि हरिजनों को ही पकड़-पकड़ कर मारा। इस तरह की हिंसा का तांडव, नंगा नाच पनवारी, अकोला, जगदीशपुर, शाहगंज, रकाबगंज आदि दर्जनों गांवों में और आगरा क्षेत्र में होता रहा। मैं खुद वहां पर गई थी। आज भी वहां जो स्कूल है और अस्पताल है, घायलों से भरे पड़े हैं। मैंने देखा है। वहां सैकड़ों हरिजनों को घायल कर दिया है, लोगों के हाथ तोड़ दिए हैं, वे काम के लायक भी नहीं रहे और महिलाओं के स्तन तक काट दिए। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है। हजारों हरिजन ग्राम छोड़ गए ... (समय की घंटी)... एक सप्ताह कर्फ्यू लगा रहा वहां।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude now.

श्रीमती सत्या बहिन : महोदया, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो अभी थोड़ी देर पहले बड़े गर्व से कह गए कि हम सामाजिक न्याय वर्ष मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे घायल पीड़ित हरिजनों के प्रति सहानुभूति के दो शब्द कहने की भी जहमत नहीं उठाई। आज भी वहां जाटव लोग आतंकित हैं। जिला प्रशासन उनको जबर्दस्ती उनके गांव भेजना चाहता है, जहां से वे आए हैं, लेकिन वे लोग डर के मारे जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि उन पर फिर से दुबारा हमला होगा।

मैंडम, मेरा निवेदन है कि जो दलित लोग घायल हैं और जिनकी हत्या हुई है, उनके बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी बताना चाहती हूँ कि इनके भी कई कार्यकर्ता, जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, आज भी लापता हैं और जिला-प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। ... (समय की घंटी)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please

conclude now. The statement is already coming on the same issue.

श्रीमती सत्या बहिन : मैडम, वह तो ठीक है। लेकिन मैं सच्चाई को बयान करना चाहती हूँ। तो जो लोग मरे हैं, उनको पांच-पांच लाख रुपया और जो लोग घायल हुए हैं, उनको कम से कम पचास-पचास हजार रुपया देना चाहिए। वहां पर घर के घर जला दिए गए और सैकड़ों महिलाएँ, बूढ़े, बच्चे और वहां पर संसद की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल, एक शिष्ट मंडल संसद का वहां पर जाना चाहिए ताकि वहां के हालात देखे। मैडम, वहां पर जो महिलाएँ, जो बिल्कुल वृद्ध थीं, जो चल नहीं सकती थीं और जो विकलांग बच्चे थे उन तक को लाठियों से मार-मार कर घायल किया गया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude now. You have taken six minutes.

श्रीमती सत्या बहिन : तो मेरा निवेदन है कि सरकार या तो यह संकल्प ले कि कमजोर वर्गों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकेंगे या फिर गद्दी छोड़ने का संकल्प ले।

कुमारी सईदा खातून (म०प्र०): मैडम मैं भी इसका समर्थन करती हूँ। गद्दी छोड़ने का समर्थन मैं भी करती हूँ।

डॉ० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ।

Plight of 'Anganwari' Employees

श्रीमती सरला माहेस्वरी (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके जरिए आगनवाड़ी की लाखों कार्यकर्ताओं की दयनीय दशा की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ।

आपको मालूम होगा कि जब इस सत्र का प्रारम्भ हुआ था तो उसी दिन देश के कोने-कोने से हजारों महिलाएँ संसद भवन के सामने एकत्र हुई थीं और उन्होंने अपनी मांगों से प्रधान मंत्री जी को भी परिचित कराया था और ज्ञापन दिया था।

माननीय महोदया, यह महिलाएँ समाज के बहुत ही नीचे-नीचे स्तर से आती हैं और शहरों की गरीब बस्तियों तथा गांव में हमारे बच्चों के स्वास्थ्य तथा उनके समेकित विकास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उठाए हुए हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी

सन् 1974 में हमारे देश ने राष्ट्रीय बाल विकास नीति अपनाई थी और इस नीति में बच्चों को राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण निधि माना गया था। इस नीति के अंतर्गत ही 1974 में पहले राष्ट्रीय बाल विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसी नीति के अंतर्गत देशव्यापी पैमाने पर समेकित बाल विकास सेवा का प्रारम्भ 1975-76 से शुरू किया गया और अब इस तरह की 2236 परियोजनाएँ हमारे देश में चल रही हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत, महिलाएँ एवं बाल विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग एक करोड़ छब्बीस लाख बच्चों का रोजाना पूरक पोषाहार तथा 56 लाख बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षाएँ प्रदान की जा रही हैं।

इन तमाम कार्यक्रमों का केन्द्र-बिन्दु आंगनवाड़ी होती है जो प्रत्येक बड़े गाँव तथा शहरों की बस्तियों में बनाई जाती हैं। सरकारी हिसाब के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहर के बस्ती इलाकों में प्रत्येक एक हजार की आबादी पर एक आंगनवाड़ी तथा अदिवासी इलाकों में 700 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी होती है। इस प्रकार सरकार की समेकित बाल विकास योजना पर अमल की मूल शक्ति यह आंगनवाड़ियाँ हैं।

इन आंगनवाड़ियों का जो सांगठनिक ढांचा है, उसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा उसके सहयोगी और सुपरवाइजर आदि की आवश्यकता होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायकों की आय ने आज बिल्कुल गरीब तबकों से आने वाली महिलाओं के लिए रोजगार का भी एक सुअवसर प्रदान किया है। हमारे देश में महिलाओं की सामान्य अर्थिक-सामाजिक स्थिति को देखते हुए, सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी इस प्रकार के रोजगार के अवसर किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। आंगनवाड़ियों के महत्व को गरीब मेहनतकश परिवारों की महिलाओं को समाजोन्मुखी रोजगार मुहैया कराने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं के रूप में भी देखा जाना चाहिए। किन्तु हमारे लिए सबसे दुख और शर्म की बात यह है कि केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं के इस एक महत्वपूर्ण पहलू की लगातार उपेक्षा करती आ रही है। पहले की कांग्रेस सरकार जो वैसे तो प्रत्येक मामले में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की बड़ी-बड़ी बातें करती थी और स्वयं को महिलाओं की हितैषी के रूप में पेश करने का ढोंग करती थी, उसने महिलाओं को रोजगार देने के इस पहलू की सबसे ज्यादा उपेक्षा की और गरीब महिलाओं को रोजगार मुहैया करने के इस पहलू की उपेक्षा करते हुए उसने इन महिलाओं

के काम को बेगार बना दिया। वे बेगारी के रूप में इस काम को करे। उसी सरकार की नीति का यह परिणाम है कि इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आज भी मासिक सिर्फ 300 ... (समय की घंटी)... तथा सहायकों को केवल 110 रुपया ही दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें अन्य कोई सुरक्षा भी प्रदान नहीं है।

आज की इस महंगाई के काल में 300 रुपया और 110 रुपया दिया जाना बेगारी करना नहीं तो और क्या है? कहने को तो सरकार यही कहेगी कि ये महिला कार्यकर्ता स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन यह वही एक सामन्त का दृष्टिकोण है जो जोर-जबर्दस्ती नहीं तो चिकनी-चुपड़ी बातें करके एक गरीब किसान से बेगार कराता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के प्रति भारत सरकार के इस दृष्टिकोण को बदलना होगा।

हमें इसलिए और भी दुख होता है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 8 महीने से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई पहलकदमी नहीं की है। वही पुणना दर्रा आज भी चल रहा है, जब कि लगभग दो साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक लगातार संगठित रूप से अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। महोदया, यहां यह उल्लेखनीय है कि शुरू में जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने संगठित होने की कोशिश की तो सरकारी अधिकारियों की ओर से उनके खिलाफ दबाव डाला गया। मेरे पास कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से जारी किया गया 21 अक्टूबर, 1989 का प्रेस बयान है जिस से 14 अक्टूबर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों के सम्मेलन में भाग लेने वाली महिलाओं को जयपुर के आई० सी० डी० एस० अधिकारियों द्वारा रोकने की कोशिश करने का पर्दाफाश होता है और उसका प्रतिवाद करते हुए यह बयान जारी किया गया है।

हालांकि तब से अब तक गंगा में काफी पानी बह चुका है और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफी संगठित हो चुकी हैं। फिर भी सरकारी अधिकारियों ने अपने सामन्ती रवैये को नहीं बदला है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार यदि वास्तविक अर्थों में गरीब जनता और कामकाजी महिलाओं की ईमानदारी से भलाई करना चाहती है तो उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दृष्टि पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्हें सरकारी नौकरों की शर्तों पर नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। जब तक सरकार इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेती तब तक उन्हें अंतरिम राहत के रूप में कुछ दिया जाए और इन कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली राशि को

सम्मानजनक स्तर पर ले जाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को 600 रुपये और सहायक को 400 रुपये तत्काल देना शुरू कर देना चाहिए

महोदया, इसके अलावा इनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर इनकी पदोन्नति का रास्ता खोला जाना चाहिए। उन्हें कम से कम दो बच्चों का भावुत्व लाभ दिया जाना चाहिए और सरकारी नियमों के अनुसार अक्समिक, अर्जित व चिकित्सा अवकाश की सुविधा दी जानी चाहिए। साथ ही उत्सवों के मौके पर उन्हें बोनस भी दिया जाना चाहिए।

मैं यह कहना चाहूँगी कि इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दशा में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किए हैं। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इन महिलाओं की समस्याओं पर नजर डालें और जल्दी से जल्दी उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।

Demand for Compensation to families affected by the Disturbances in Jammu and Kashmir

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Madam Vice-Chairperson, I would thank you very much for enabling me to draw the attention of the Government to the sad plight of the persons in the State of Jammu and Kashmir who have suffered on account of fires and acts of arson in which their property, their residential houses, bazaars and markets as well as crops have been set on fire.

In the disturbances which have been raging far and wide in the State of Jammu and Kashmir many residential areas, markets, bazaars villages and places of worship have been gutted in devastating fires resulting in huge losses of property, human lives, cattle-heads and foodgrains. Some of such happenings have been reported in the local and national press also. This has also rendered hundreds of families homeless and they are left with nothing to fall back upon. Besides being a humanitarian problem, it is the legal and constitutional duty of a responsible and value-based Government to compensate immediately

the affected persons in full and to rehabilitate them. Moreover, in order to win the confidence of the people of Jammu and Kashmir and to arrest the tides of alienation, it is necessary to provide succour to the affected families. Now the winter session is also going to set in Kashmir and the lot of these helpless and beleaguered persons can be well-imagined. They are already facing starvations and hardships and in the coming winter they are likely to die of extreme cold and subzero temperature.

It was hoped that such happenings would not be repeated but the instances of arson are multiplying. We are greatly worried from the press reports which show that such inhuman and gruesome acts of mindless arson are going on and even the fire tenders are not allowed to extinguish the fires by the security forces. After the application of the Disturbed Areas Act and the Armed Forces (Special Powers) Ordinance, number of fires is on the increase. I would, therefore, through you, call upon the Government of India and the Government of Jammu & Kashmir to immediately assess and pay full compensation for the loss of lives, property, cattle-heads, crops, etc. suffered by the people in the State of Jammu & Kashmir in the fires and acts of arson in the present disturbances and to pay Rs. 1 lakh to the next of kin of the persons roasted in these fires", whether the persons killed were adults or minors, and to rehabilitate the sufferers and to take all necessary steps to see that such fires are not repeated and that no acts of arson are indulged in the name of destroying the hide-outs of certain persons. It is, therefore, necessary that a Judge of the Supreme Court is appointed to go into these matters and to fix responsibility on the persons who had set on fire the residential areas, markets, villages, bazaars, restaurants, houses, etc. in Jammu & Kashmir.